(Press-Note)

कार्यालय,
पुलिस महानिदेशक,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171002

(निविदा सूचना)

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, के ब्लाक “A” स्थित खलिनी व “C” ब्लाक स्थित निगम बिहार , शिमला में कैन्टीन (जलपान–गृह) चलाने हेतू इच्छुक व्यक्तियों से मोहरबन्द एवं सीलबन्द लिफाफे (Envelope) में निविदाएं (Quotation) आमन्त्रित है । निविदा प्रपत्र (Quotation form) किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक अधीक्षक, कल्याण एवं पैन्शन शााखा, कमरा न0–206 ,पुलिस मुख्यालय, शिमला–2 से प्राप्त किये जा सकते है और अन्य विस्तृत सुचनाओं , नियमों व शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस बैबसाईट <u>www.hppolice.com.in</u> से भी डाउनलोड किये जा सकते है ।

2 इच्छुक व्यक्ति अपनी–अपनी निविदा , उपरोक्त विधि से सीलबन्द करके कमरा संख्या– 206, पुलिस मुख्यालय में निर्धारित सीलबन्द पेटी में दिनांक 10.04.2021 समय 1 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें । सभी प्राप्त एवं वैघ निविदाएं इस ही दिन अर्थात दिनांक 10–04–2021 को अपराहन 3 बजे के उपरांत पुलिस अधीक्षक, कल्याण के कार्यालय में नियमानुसार खोली जाएगी ।

पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पैन्शन,
पुलिस मुख्यालय,हि0प्र0,शिमला–2

शर्ते एवं नियम :–

1. हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की दो कैन्टीनों ब्लाक "ए" एवं "सी" स्थित निगम विहार के संचालन एक वर्ष की अवधि (15.04.2021 से 14.04.2022) तक के लिए वितरण हेतू निर्धारित प्रकिया के अनुसार बाहरी व्यक्तियों को ठेका पर दिया जाना है । "A" ब्लाक (SV&ACB HQ) में लगभग 100 अधिकारी एवं कर्मचारी तथा "C" ब्लाक (Police HQ) निगम बिहार में लगभग 200 अधिकारी एवं कर्मचारी स्थाई रूप से कार्यरत है जो आमतौर पर सभी कार्य दिवस पर दोपहर का भोजन एवं जलपान इत्यादि इन कैन्टीनों में तत्काल कीमत अदायगी के आधार पर करते है
2. विभिन्न खाद्य पदार्थो एवं अन्य सेवाओं, (संलग्न सूचि अनुसार) के लिए जो मुल्य (Quote) **किये जायेंगें** वह एक साल की अवधि के लिए मान्य रहेगें तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध के अनुसार सभी शर्तो को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति और मुख्यालय के अनुमोदन के अनुसार बढाया जा सकता है ।
3. कैन्टीन संचालक को मु0–5,000/–रू0 की जमानत राशि (Caution Money) बैक ड्राफट के रूप में देना होगा । अनुबन्ध के अनुसार लगातार सेवाएं न देने तथा किसी की शर्त का उलघंन करने पर जमानत राशि जब्त की जा सकती है । लेकिन समझौते के अनुसार कैन्टीन का कार्य सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर कुल जमानत राशी का भुगतान 10 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।
4. कैन्टीन संचालक को किसी अन्य व्यक्ति को कैन्टीन संचालन के लिए आगामी ठेका (Subletting) देने की अनुमति न होगी ।

5. कैन्टीन संचालक ऐसे व्यक्तियों को कैन्टीनों के कार्य पर रखेगाा जो अनुशासित व चरित्रवान हो और आयु 18 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से कम हो ।
6. कैन्टीन संचालक को अनुबन्ध के अनुसार खाना बनाने के लिए बिजली का उपयोग नहीं करना होगा ।
7. कार्यालय परिसर में नशा बर्जित है ।
8. पुलिस मुख्यालय कैन्टीन संचालक को किसी भी नियम व शर्त का उल्लघन करने पर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है ।
9. कैन्टीन संचालक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुकिंग स्टाफ की नियुक्ति करेगा ।
10. कच्चे माल व तैयार उत्पाद की मा़त्रा और गुणवतता की जांच पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर की जा सकती है । यदि गुणवतता/ मात्रा मानक से कम है तो ठेकेदार के अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है ।
11. कैन्टीन के संचालन का समय सुबह 8,30 से शाम 6 बजे तक रहेगा ।
12. कैन्टीन में दोपहर के भोजन व जलपान इत्यादि के समय कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ व साफ सुथरे वस्त्र में रहना होगा ।
13. कैन्टीन में साप्ताहिक भोजन का विवरण और दर–सूची प्रदर्शित की जायेगी ।
14. कैन्टीन में शिकायत सुझाव पुस्तिका का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
15. कैन्टीन में सभी कार्यरत कमचारियों को खाना बनाते समय कमर में लपेटने वाला कपड़ा (Apron) का प्रयोग व बांटते समय मुंह में मास्क को तथा खाना बांटते समय हाथ में (Gloves) दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा ।
16. यदि सरकारी सामान की टूटफूट होती कैन्टीन संचालक जिम्मेवार होगा ।
17. बिजली के लिए अलग उप–मीटर लगाया गया है जिसके बिल का भुगतान तथा किराये की राशि का भुगतान ठेकेदार को उचित समय पर करना होगा ।
18. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार मृदु भाषी होनी चाहिए ।

5. कैन्टीन संचालक ऐसे व्यक्तियों को कैन्टीनों के कार्य पर रखेगाा जो अनुशासित व चरित्रवान हो और आयु 18 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से कम हो ।
6. कैन्टीन संचालक को अनुबन्ध के अनुसार खाना बनाने के लिए बिजली का उपयोग नहीं करना होगा ।
7. कार्यालय परिसर में नशा बर्जित है ।
8. पुलिस मुख्यालय कैन्टीन संचालक को किसी भी नियम व शर्त का उल्लघन करने पर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है ।
9. कैन्टीन संचालक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कुकिंग स्टाफ की नियुक्ति करेगा ।
10. कच्चे माल व तैयार उत्पाद की मा़त्रा और गुणवतता की जांच पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किसी भी कार्य दिवस पर की जा सकती है । यदि गुणवतता/ मात्रा मानक से कम है तो ठेकेदार के अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है ।
11. कैन्टीन के संचालन का समय सुबह 8,30 से शाम 6 बजे तक रहेगा ।
12. कैन्टीन में दोपहर के भोजन व जलपान इत्यादि के समय कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ व साफ सुथरे वस्त्र में रहना होगा ।
13. कैन्टीन में साप्ताहिक भोजन का विवरण और दर--सूची प्रदर्शित की जायेगी ।
14. कैन्टीन में शिकायत सुझाव पुस्तिका का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
15. कैन्टीन में सभी कार्यरत कमचारियों को खाना बनाते समय कमर में लपेटने वाला कपडा (Apron) का प्रयोग व बांटते समय मुंह में मास्क को तथा खाना बांटते समय हाथ में (Gloves) दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा ।
16. यदि सरकारी सामान की टूटफूट होती कैन्टीन संचालक जिम्मेवार होगा ।
17. बिजली के लिए अलग उप–मीटर लगाया गया है जिसके बिल का भुगतान तथा किराये की राशि का भुगतान ठेकेदार को उचित समय पर करना होगा ।
18. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार मृदु भाषी होनी चाहिए ।

19. यदि कैन्टीन संचालक को कैन्टीन संचालन के प्रति कोई भी समस्या हो तो शीघ्र ही पुलिस अधीक्षक,कल्याण एवं पैन्शन शाखा को सूचित करें ।

पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पैन्शन,
पुलिस मुख्यालय,हि0प्र0,शिमला–2

E-Mail

पृ0संख्या कल्याण–1 बैट कैंटीन 2020–21– 6874-77 दिनांक– 26-3-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतू प्रेषित है :–

1 जिलाधीश, कार्यालय, शिमला–171001
2 पुलिस अधीक्षक शिमला–171001
3 पुलिस उप–अधीक्षक, SCRB शिमला–2
4 श्री आशोक कुमार प्रभारी बैट कैंटीन पुलिस मुख्यालय शिमला–2

पुलिस अधीक्षक,
कल्याण एवं पैन्शन,
पुलिस मुख्यालय,हि0प्र0,शिमला–2